114

न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल ग्वालियर मध्यप्रदेश सर्किट कोर्ट रीवा (म0प्र0)

111
26.2.14

R-982-II/14

COURT FEE
20 Rs.
भारत INDIA
बीस रुपये
TWENTY RUPEES

Rs. 20/-

बृंदावन बड़गैयां (मृत) जरिए वारिसानः–

1. शिवेन्द्रनाथ बड़गैयां तनय स्व0 श्री बृंदावन बड़गैयां
2. नागेन्द्रनाथ बड़गैयां तनय स्व0 श्री बृंदावन बड़गैयां
3. सखेन्द्रनाथ बड़गैयां तनय स्व0 श्री बृंदावन बड़गैयां
4. रघुवंशनाथ बड़गैयां तनय स्व0 श्री बृंदावन बड़गैयां
5. निरंजन नाथ बड़गैयां तनय स्व0 श्री बृंदावन बड़गैयां
6. प्रेमलता पत्नी स्व0 श्री बृंदावन बड़गैयां

सभी निवासीगण वार्ड क्रमांक–13 मैहर तहसील मैहर जिला सतना म0प्र0

श्री एस.एन.ला. तिवारी द्वारा आज दिनांक .... प्रस्तुत किया गया।
रीडर
सर्किट कोर्ट रीवा

----निगरानीकर्तागण

बनाम्

स्टेट आफ म0प्र0

----अनावेदकगण/गैर निगरानीकर्ताण

निगरानी विरुद्ध निर्णय व आदेश दिनांक 20.12.13 जो न्यायालय श्रीमान अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा द्वारा प्रकरण क्रमांक 1089/अपील/2005-06 मे पारित किया गया।

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0 भू राजस्व संहिता।

मान्यवर,

निगरानी के आधार निम्नलिखित हैः–

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग–अ

प्रकरण कमांक 982–दो/2014 निगरानी जिला सतना

स्थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
9/3/18	निगरानी मेमो में अंकित तथ्यों पर आवेदक के अभिभाषक को सुना जा चुका है। प्रकरण आदेश हेतु प्रस्तुत हुआ। अवलोकन किया गया। यह निगरानी अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के प्रकरण कमांक 1089/05–06 अपील में पारित आदेश दिनांक 20–12–2013 के विरूद्व म0प्र0 भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है। 2/ आवेदक के अभिभाषक के तर्को पर विचार करने एंव प्रस्तुत अभिलेख के अवलोकन से परिलक्षित है आवेदक ने अनुविभागीय अधिकारी मेहर के समक्ष म0प्र0भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 57 के अंतर्गत दावा प्रस्तुत कर ग्राम तिघरा कलॉ की भूमि सर्वे कमांक 241 रकबा 1.473 एंव ग्राम उमरी पैला की भूमि सर्वे कमांक 719 रकबा 1–494 है. पर भूमिस्वामी अधिकार प्रदान करने का दावा लगाया है। शासकीय खसरे में यह भूमियॉ एग्रीकल्चर फार्म मध्य प्रदेश शासन दर्ज हैं। अनुविभागीय अधिकारी मैहर ने आवेदक को सुनकर प्रकरण कमांक 1अ–1/2005–06 में आदेश दिनांक 31–7–2006 पारित करके आवेदक को शासकीय भूमि पर कब्जा करने का प्रयास करना पाते हुये आवेदक का दावा निरस्त किया है। इस आदेश के विरूद्व आवेदक ने कलेक्टर सतना को अपील न करते हुये सीधे अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के समक्ष अपील प्रस्तुत की। अपर आयुक्त ने प्रकरण कमांक 1089/05–06 अपील में पारित आदेश दिनांक 20–12–2013 से अपीलकर्ता मृतक के वारिसान को विधिवत् व समयावधि में रिकार्ड पर न लाने के आधार पर अपील निरस्त कर दी है। इसी आदेश के विरूद्व यह अपील है।	

3/ अपर आयुक्त ने आदेश दिनांक 20–12–13 में निर्णीत किया है कि व्यवहार प्रकिया संहिता आदेश 22 नियम 3 के अंतर्गत मृतक के विधिक वारिसान को रिकार्ड पर लिये जाने हेतु प्रस्तुत आवेदन अपूर्ण स्थिति में है क्योंकि पक्षकार की मृत्यु होने पर निर्धारित समयावधि में आवेदन के साथ शपथ पत्र, मृतक का मृत्यु प्रमाण पत्र, सरपंच/बार्ड पार्षद/पटवारी से सत्यापित सजरा खानदान प्रस्तुत करना आवश्यक है इनके अभाव में अपर आयुक्त ने आवेदकगण की ओर से व्यवहार प्रकिया संहिता आदेश 22 नियम 3 के अंतर्गत प्रस्तुत आवेदन निरस्त करते हुये प्रकरण समाप्त किया है जिसमें किसी प्रकार का दोष नहीं है।

4/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा व्दारा प्रकरण कमांक 1089/05–06 अपील में पारित आदेश दिनांक 20–12–2013 उचित होने से यथावत् रखते हुये निगरानी निरस्त की जाती है।

सदस्य